

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 829/2023

अनवान : -

1. लालमोहम्मद पुत्र रमजान जाति लेखरा (लखारा) निवासी फेफाना तहसील नोहर।  
-वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

- प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88  
राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री मांगेरा गोदारा अधिवक्ता वादी  
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 01/01/2024


संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा 5 ए बारानी तहसील नोहर के खाता स0 258/232 की 0.7590 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में वादी का नाम लालचन्द है जो की सहवन से गलत दर्ज हुआ है जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम लालमोहम्मद है जो कि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, पहचान-पत्र, जनआधार कार्ड आदि में दर्ज है राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज होने के कारण वादी अपनी खातेदारी का सही उपयोग-उपभोग नहीं कर पा रहा है तथा वादी अपना सही नाम रामप्रताप राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार राज द्वारा जवाब पेश किया गया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया है।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वादी का सही नाम लालमोहम्मद है जबकि उक्त वादी भूमि में नाम गलत दर्ज होने से वादी को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और वादी अपनी खातेदारी के नियमित उपयोग-उपभोग से वंचित है। वादी के सभी दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, पहचान-पत्र, जनआधार कार्ड आदि में वादी का नाम लालमोहम्मद है। अतः मुताबिक वादी के सभी दस्तावेजों के आधार पर वादी का सही नाम लालमोहम्मद राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 5 ए बारानी तहसील नोहर

  
अखण्ड अधिकारी  
नोहर

के खाता स0 258/232 की 0.7590 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व जनआधारकार्ड आदि में वादी का नाम लाल मोहम्मद अंकित है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वाद वादी स्वीकार योग्य है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा 5 ए बारानी तहसील नोहर के खाता स0 258/232 की 0.7590 हैक्ट भूमि में वादी का लालचन्द पुत्र रमजान के स्थान पर लाल मोहम्मद पुत्र रमजान के अंकन की घोषणा की जाती है। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच लालचन्द के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का लालचन्द के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम लालचन्द ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ...08/08/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(पंकज गढ़वाल<sup>R.A.S.</sup>)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या - 829/2023

अनवान : -

1. लालमोहम्मद पुत्र रमजान जाति लेखरा (लखारा) निवासी फेफाना तहसील नोहर।  
-वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

- प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 829 सन 2023 निर्णय दिनांक 08/08/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा 5 ए बारानी तहसील नोहर के खाता स० 258/232 की 0.7590 हैक्ट भूमि में वादी का नाम लालचन्द पुत्र रमजान के स्थान पर लाल मोहम्मद पुत्र रमजान के अंकन की घोषणा की जाती है। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच लालचन्द के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का लालचन्द के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम लालचन्द ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 08/08/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी कि गई।

01  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर